CNR No. UP AG 01-007380-2013

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एस.सी./एस.टी.एक्ट), आगरा

उपस्थित : अशोक कुमार यादव I, एच0जे0एस0

दाण्डिक अपील संख्या 339/2013

1. बनवारी लाल पुत्र श्री रमेश चन्द निवासी ग्राम इमलिया थाना बरहन जिला आगरा
2. रामदास पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम नगला बांस थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

---- अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ------विपक्षी

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक अपील अपीलार्थीगण बनवारी लाल एवं रामदास द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 8, आगरा द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 293/09, राज्य प्रति बनवारी लाल आदि, अंतर्गत धारा 420 भा0द0सं0, थाना बरहन, आगरा में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 21.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्तर्गत निर्णय एवं दण्डादेश द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बनवारी लाल एवं रामदास को धारा 420 भा0द0सं0 के अपराध में पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/-, 5000/-रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास के दण्डादेश से दण्डित किया गया है तथा अपीलार्थीगण को धारा 357 द0प्र0सं0 के अंतर्गत वादिनी को 50 हजार रूपये प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया गया है।

संक्षेप में अपील में अभिकथन हैं कि निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा न्याय सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया है। आर.टी.ओ. फिरोजाबाद का विवेचक ने बयान अंकित नहीं किया। धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध साबित नहीं है। वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0 1 मुन्नी देवी ने अपने बयान में कहीं नहीं कहा है कि उसने ट्रैक्टर क्रय करने के लिए कहां से रूपयों का इंतजाम किया। पी0डब्लू0 6 संतोष कुमार ने बयान दिया कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये गये थे परन्तु इस प्रकार के कागजात पर पंजीयन अंतरित नहीं किया जा सकता है। पी0डब्लू0 6 संतोष कुमार की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। संतोष कुमार ने अपने शपथपत्र में आर.टी.ओ. के यहां जाने का कोई वर्णन नहीं किया है। संबंधित ट्रैक्टर अपीलार्थी रामदास व पूर्व रजिस्टर्ड मालिक के आर.टी.ओ. कार्यालय में आये बिना अंतरित नहीं हो सकता है। अपीलार्थीगण ने बचाव में आर.टी.ओ. कार्यालय के सम्पूर्ण अभिलेखों

के साथ आर.टी.ओ. को तलब कराया था, जिनका बयान अवर न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया, यदि उनका बयान हुआ होता तो यह स्पष्ट होता कि पूर्व मालिक संतोष कुमार आर.टी.ओ. कार्यालय में उपस्थित था। शेष साक्षीगण वादिनी से मिले हुए थे, केवल उनके बयानों के आधार पर ही दोषसिद्धि की गयी है। अवर न्यायालय ने सही तरीके से अभिलेखों का परिशीलन किये बिना दोषसिद्धि व दण्डादेश पारित किया है। याचना की है कि अपील स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांकित 21.11.2013 निरस्त किया जाय।

अपील के संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) तथा वादिनी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना गया तथा अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अवर न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती मुन्नी देवी ने एक प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष, बरहन को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने एक ट्रैक्टर नं0 यू.पी.81/डी 2910 स्वराज 735 दिनांक 13.01.2009 को संतोष कुमार पुत्र स्व0 नहने सिंह निवासी ग्राम दारापुर नगला (सुकरावली) थाना हरदुआगंज अलीगढ़ से मु0 1,62,000/–रूपये में खरीदा था जिसका भुगतान स्वयं वादिनी ने किया था। वादिनी के बड़े लड़के बनवारी लाल व उसके ससुर रामदास पुत्र स्व0 प्रेम सिंह निवासी नगला कांस थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ने षडयंत्र करके बनवारी लाल ने अपने ससुर रामदास के नाम ट्रैक्टर को पंजीकृत करा दिया। ट्रैक्टर विक्रेता द्वारा इस संबंध में अपना प्रति शपथपत्र भी दिया गया है। वादिनी के साथ धोखाधड़ी की गयी है। मुल्जिमान के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाय। इस संबंध में दिनांक 23.12.2009 को संबंधित थाने से आदेश हुआ कि उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें। तहरीर प्रदर्श क–1है।

तत्पश्चात् चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 थाना बरहन में अ0सं0 393/09, धारा 420 भा0द0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की गयी। मामले को जी.डी. प्रदर्श क–5 में अंकित किया गया। विवेचक ने विवेचना के दौरान गवाहान के बयान अभिलिखित किये। दौरान विवेचना वादिनी मुकदमा श्रीमती मुन्नी देवी, ट्रैक्टर के विक्रेता संतोष कुमार, राज कुमार आदि के बयान अभिलिखित किये। अभियुक्तगण के भी बयान अंतर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 अभिलिखित किये गये और ट्रैक्टर से संबंधित आवश्यक अभिलेख एकत्र किये गये और सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् यह पाया गया कि अभियुक्तगण बनवारी लाल व रामदास के विरूद्ध धारा

420 भा0द0सं0 का आरोप साबित है और आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अभियुक्तगण अवर न्यायालय में उपस्थित हुए। उनके विरूद्ध विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 26.04.2010 को आरोप अंतर्गत धारा 420 भा0द0सं0 विरचित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0 1 श्रीमती मुन्नी देवी, वादिनी मुकदमा, पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन पुत्र वादिनी, पी0डब्लू0 3 राजकुमार, पी0डब्लू0 4 कोमल जिनकी सुपुर्दगी में ट्रैक्टर दिया गया, पी0डब्लू0 उ0नि0 सत्यपाल सिंह एवं पी0डब्लू0 6 संतोष कुमारए ट्रैक्टर विक्रेता को परीक्षित कराया गया है।

पी0डब्लू0 1 श्रीमती मुन्नी देवी, वादिनी मुकदमा ने तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन ने घटनाक्रम के संबंध में साक्ष्य दिया है। पी0डब्लू0 3 राज कुमार एवं पी0डब्लू0 4 कोमल ने सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क–2 को साबित किया है। पी0डब्लू0 5 उ0नि0 सत्यपाल सिंह, विवेचक ने आरोप पत्र प्रदर्श क–3 तथा द्वितीयक साक्षी के रूप में सर्वेश कुमार के लेख व हस्ताक्षर में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 एवं नकल जी.डी. प्रदर्श क–5 को साबित किया है। पी0डब्लू0 6 संतोष कुमार, ट्रैक्टर विक्रेता ने सेल लैटर की प्रमाणित प्रति प्रदर्शक–6 व प्रमाणित प्रति प्रारूप संख्या 29 एवं 28 क्रमशः प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8 एवं अपने द्वारा दिये गये शपथपत्र प्रदर्श क–9 को साबित किया है।

बचाव पक्ष की ओर से डी0डब्लू0 1 राजनाथ, डी0डब्लू0 2 मानिक चन्द, डी0डब्लू0 3 वीरेश्वर प्रसाद परीक्षित हुए हैं। इन्होंने साक्ष्य दिया है कि रामदास ने बताया था कि उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा है और यह भी कहा कि रामदास ने ट्रैक्टर खेत बेचकर खरीदा था।

पी0डब्लू0 1श्रीमती मुन्नी देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि संतोष कुमार पुत्र नहने सिंह निवासी ग्राम दारापुर नगला सुकरावली थाना हरदुआगंज जिला अलीगढ़ से मु0 1,62,000/–रूपये में ट्रैक्टर खरीदा था, ट्रैक्टर का नम्बर यू. पी.81 डी. 2910 स्वराज 735 है और रूपये स्वयं वादिनी ने संतोष कुमार को दिये थे। वादिनी के लड़के बनवारी लाल व उसके ससुर रामदास ने षडयंत्र करके बनवारी लाल ने अपने ससुर रामदास के नाम ट्रैक्टर को पंजीकृत करा दिया। विक्रेता ट्रैक्टर संतोष ने अपना प्रति शपथपत्र भी दिया है, जो पत्रावली पर संलग्न है। धोखाधड़ी के बारे में जानकारी 11 माह बाद हुई, तब उसने थाने पर तहरीर दी। तहरीर लड़के से लिखवाई थी, उसने तहरीर सुनाई थी, तब उसने निशानी अंगूठा लगाया था। साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 को साबित किया है।

पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन आयु 22 वर्ष पेशा मजदूरी ने अपनी मुख्य

परीक्षा में बयान दिया है कि उसकी मां ने उसके सामने दिनांक 13.01.2009 को संतोष कुमार पुत्र नहने निवासी दारापुर को उनका ट्रैक्टर नं0 यू.पी.81 डी. 2910 स्वराज 735 खरीदने के लिए स्वयं 1,62,000/-रूपये दिये थे। ट्रैक्टर इस साक्षी की मां के नाम होना था परन्तु बड़े भाई बनवारी लाल ने अपने ससुर रामदास से मिलकर खाली सेल लैटर पर हस्ताक्षर कराकर कहा कि घर का मामला है, परन्तु धोखाधड़ी करके, मां के नाम न कराकर अपने ससुर रामदास के नाम कराकर चार सौ बीसी कर ली है। यह बयान साक्षी ने दरोगा जी को दिया था।

पी0डब्लू0 3 राजकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 13.02. 2010 को दरोगा जी इस साक्षी के गांव इमलिया आये थे। मुन्नी देवी व इस साक्षी का घर अगल बगल में है, जहां पर मुन्नी देवी का ट्रैक्टर स्वराज 735 नं0 यू.पी.81 डी. 2910 रंग नीला को दरोगा जी ने मुन्नीदेवी की सुपुर्दगी में इस साक्षी व कोमल सिंह के सामने दिया था। सुपुर्दगीनामा इस साक्षी के सामने मुन्नी देवी के दरवाजे पर लिखा था तथा पढ़कर सुनाया था तथा साक्षी ने हस्ताक्षर बनाये थे। सुपुर्दगीनामा पर प्रदर्श क-2 डाला गया।

इसी प्रकार का बयान पी0डब्लू0 4 कोमल सिंह ने दिया है तथा यह साक्षी वादिनी के गांव का है।

पी0डब्लू0 5 उ0नि0 सत्यपाल सिंह ने विवेचना संबंधी साक्ष्य दी है और सम्पूर्ण विवेचना संबंधी कार्यवाही का वर्णन करते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क-3, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 एवं नकल जी.डी. प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

पी0डब्लू0 6 संतोष कुमार जो ट्रैक्टर विक्रेता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने दिनांक 13.01.2009 को अपना ट्रैक्टर नं0 यू.पी.81 डी. 2910 मुन्नी देवी को मु0 1,62,000/-रूपये में बेचा था। मुन्नी देवी के बड़े बेटे ने प्रारूप संख्या 30 सेल लैटर पर इस साक्षी के दस्तखत बनवाये थे। जब बनवारी लाल ने आर0टी0ओ0 ऑफिस अलीगढ़ पर दस्तखत कराये थे, उस समय सेल लैटर बिल्कुल खाली था। इस साक्षी ने बनवारी लाल से पूछा कि वह खाली फॉर्म पर दस्तखत क्यों करा रहा है तो उसने कहा कि मुन्नी देवी के नाम से ट्रान्सफर करवा देगा। इस सेल लैटर की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर है, जिसे आर.टी.ओ. फिरोजाबाद द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिस पर इस साक्षी के हस्ताक्षर है तथा उस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। प्रारूप संख्या 29 हस्तान्तरण का नोटिस व प्रारूप संख्या 28 अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भी उपरोक्त की तरह इस साक्षी के हस्ताक्षर बनवाये गये हैं, फिर कहा कि लिये गये थे, जो कर पंजीयन अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा प्रमाणित है। प्रारूप संख्या 29 इस

साक्षी के हस्ताक्षर में है, इस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इसी आशय का एक शपथपत्र अलीगढ़ से तैयार कराकर इस साक्षी ने थानाध्यक्ष बरहन को दिया था। शपथपत्र पर इस साक्षी के हस्ताक्षर हैं, जिसकी वह शिनाख्त करता है, इस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है। बाद में इस साक्षी को पता चला कि बनवारी लाल ने उक्त ट्रैक्टर नं0 यू.पी.81 डी. 2910 को मुन्नी देवी की जगह अपने ससुर रामदास के नाम करवा लिया। इसके बाद इस साक्षी ने शपथपत्र तैयार करके थानाध्यक्ष बरहन को दिया।

उपरोक्त साक्षीगण से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है।

बचाव पक्ष ने अपने बचाव में डी0डब्लू0 1 राजनाथ, डी0डब्लू0 2 मानिक चन्द व डी0डब्लू0 3 वीरेश्वर प्रसाद को परीक्षित कराया है।

डी0डब्लू0 1 राजनाथ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह बनवारी एवं रामदास को जानता है। बनवारी इमलिया के रहने वाले तथा रामदास नगला कांस के रहने वाले हैं। रिश्ते में रामदास का बनवारी दामाद लगता है। रामदास ने चार–पांच वर्ष पहले अलीगढ़ से सैकेण्ड हैण्ड ट्रैक्टर मु0 1,50,000/–रूपये में स्वयं खरीदा था। इस साक्षी ने देखा था तथा ट्रैक्टर नीले रंग का था तथा ट्रैक्टर अपने लड़के के लिए खरीदा था। रामदास के पास आज भी चार वीघा खेत है।

इसी प्रकार डी0डब्लू0 2 मानिक चन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है।

डी0डब्लू0 3 वीरेश्वर प्रसाद ने कहा है कि वह बनवारी एवं रामदास को जानता है। बनवारी इस साक्षी का ममेरा भाई है तथा रामदास बनवारी का ससुर है। रामदास ने चार वर्ष पूर्व ट्रैक्टर खरीदा था, बनवारी ने नहीं खरीदा था। ट्रैक्टर आज मुन्नी देवी के घर पर बंद हालत में खड़ा है। साक्षी ने यह भी कहा कि तीनों भाई अर्जुन सिंह, रनवीर सिंह, बिन्दु व मुन्नी देवी, रामदास के घर ट्रैक्टर लेने गये थे कि दो चार माह ट्रैक्टर चलाकर वापस कर देंगे, कहकर ले गये थे, जब वे लोग ट्रैक्टर ले गये थे, तब साक्षी को मालूम पड़ा कि फिर ये लोग ट्रैक्टर वापस करने नहीं गयें, तब तीनों लड़कों ने मुकदमा कर दिया।

उपरोक्त साक्षीगण से भी विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है।

इस मामले में अपील में जो अभिकथन किये गये हैं, उसके आधार पर निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु बनाये जाते हैं–

1. क्या वादिनी ने विक्रेता संतोष कुमार को ट्रैक्टर क्रय किये जाने के प्रतिफल के रूप में मु0 1,62,000/–रूपये दिये ?

2. क्या ट्रैक्टर का अंतरण उचित रूप से हुआ ?

3. क्या धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है ?

मैंने वादी पक्ष एवं अपीलार्थी पक्ष की ओर से लिखित बहस का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्षः–

अवधार्य बिन्दु संख्या 1ः–

क्या वादिनी ने विक्रेता संतोष कुमार को ट्रैक्टर क्रय किये जाने के प्रतिफल के रूप में मु0 1,62,000/–रूपये दिये ?

इस संबंध में अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादिनी मुन्नी देवी ने कहां से रूपये एकत्र किये, साबित नहीं है।

इस संबंध में मैंने पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पी0डब्लू0 1 श्रीमती मुन्नी देवी, वादिनी मुकदमा के बयान का सम्यक परिशीलन किया।

पी0डब्लू0 1 मुन्नी देवी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने मु0 1,62,000/–रूपये में ट्रैक्टर संतोष कुमार से क्रय किया। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से आया है कि उसने संतोष कुमार को रूपये दिये थे। न्यायालय के मत में नोट कितने–कितने रूपये के थे, इस संबंध में स्पष्टता नहीं है, परन्तु न्यायालय के मत में मुन्नी देवी एक अनपढ़ ग्रामीण महिला है। उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह रूपये देते समय यह ध्यान रखी होगी कि कितने–कितने रूपये के नोट उसने विक्रेता संतोष कुमार को दिये। सुझाव में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कहना गलत है कि ट्रैक्टर रामदास ने खरीदा हो। इस साक्षी की पूरी प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया जिससे यह स्पष्ट हो कि रूपये मुन्नी देवी ने अदा नहीं किये थे। यदि अपीलार्थी पक्ष को इस संबंध में स्पष्टता लानी थी तो मुन्नी देवी से प्रश्न पूछा जाना था कि वह मु0 1,62,000/–रूपये कहां से प्राप्त की थी, जिसे उसने ट्रैक्टर खरदने में दिये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पक्ष को इस तर्क का कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन, जो वादिनी मुन्नी देवी का पुत्र है, जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके पिता के नाम 6 वीघा जमींन थी, दो वीघा पक्के जमींन थी। इस जमींन में करीब पचास हजार रूपये की फसल होती थी। 6 वीघा कच्चे में आलू करते थे तथा बीस हजार रूपये लागत लगती थी,

खर्च काट कर तीस हजार रूपये बचत होती है और उस तीस हजार रूपये में से कुछ खर्च नहीं करते थे। मजदूरी करते थे, उससे खर्चा करते थे। मजदूरी साक्षी, साक्षी के पिता, भाई बनवारी व सभी लड़के करते थे। पिता का कार्ज नहीं किया था,इसका अर्थ यह होता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात् जो त्रयोदशी संस्कार होता है, उसे नहीं किया गया। इस प्रकार यह साबित होता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात् कोई विशेष खर्च वादिनी व लड़कों द्वारा नहीं किया गया। खेती से जो रूपये प्राप्त होते थे, वह सभी एकत्र हुए होंगे। ट्रैक्टर पिता की मृत्यु के एक माह बाद खरीदा था। सामान्य रूप से पिता की मृत्यु के पश्चात् विधवा मां के नाम घर वालों की अपेक्षा होती है कि उसके नाम से कोई सम्पत्ति क्रय कर दी जाय और उसी क्रम में मुन्नी देवी के नाम ट्रैक्टर क्रय करने के लिए संतोष कुमार को मु0 1,62,000/–रूपये दिये गये। इस प्रकार पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन के बयान से यह साबित है कि रूपयों का इंतजाम वादिनी पक्ष द्वारा खेती के उत्पाद के विक्रय करने से होता रहा।

इसी क्रम में पी0डब्लू0 6 संतोष कुमार, जो ट्रैक्टर विक्रेता है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने मुन्नी देवी को मु0 1,62,000/–रूपये में ट्रैक्टर बेचा था। इस साक्षी से जो प्रतिपरीक्षा कीगयी है उसमें उसने कहा है कि ट्रैक्टर का सौदा मु0 1,62,000/–रूपये में हुआ था। तय करने के दो तीन दिन बाद आये थे, मु0 1,62,000/–रूपये इस साक्षी को दिये थे। मुन्नी, बनवारी लाल व दो लड़के उन्होंने अदा किये थे और सब साथ में थे। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ 4 पर इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुन्नी देवी ने ट्रैक्टर का मूल्य मु0 1,62,000/–रूपये उसके घर पर दिये थे। यह कहना गलत है कि इस साक्षी ने ट्रैक्टर रामदास को बेचा था। यह कहना भी गलत है कि इस साक्षी ने ट्रैक्टर बनवारी लाल को बेचा था।

उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य पूर्णतः साबित है कि मुन्नी देवी ने मु0 1,62,000/–रूपये विक्रेता संतोष कुमार को अदा किये थे। अपीलार्थी पक्ष द्वारा इस संबंध में लिया गया तर्क अस्वीकार किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या 2:–</u>

क्या ट्रैक्टर का अंतरण उचित रूप से हुआ ?

इस संबंध में अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आर.टी.ओ. कार्यालय से अभिलेख तलब किये गये परन्तु आर.टी.ओ. को परीक्षित नहीं कराया गया, यदि आर.टी.ओ. को परीक्षित कराया जाता तो यह स्पष्ट हो जाता कि संतोष कुमार ने रामदास को ट्रैक्टर का अंतरण उचित रूप से आर.टी.ओ. कार्यालय में

किया।

इस संबंध में मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि इस ट्रैक्टर को साक्षी का भाई गांव में चलाता था, ट्रैक्टर तो घर पर ही रहा है, कागजात बनवारी ने अपने साढू के यहां रख दिये थे, जिस दिन से ट्रैक्टर खरीदा था, तब से कागजात साढू के यहां रख दिये थे। इस साक्षी ने 10–15 दिन बाद पूछा कि कागजात कहां है और कागजात लाकर आने के लिए कहा।

पी0डब्लू0 6 ट्रैक्टर विक्रेता संतोष कुमार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि सेल लैटर आर.टी.ओ. से मिलता है, खरीदने वाले के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि प्रदर्श क–6 पर जब उसने हस्ताक्षर किये, तब उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। आर.टी.ओ. अलीगढ़ एवं फिरोजाबाद के हस्ताक्षर नहीं थे। प्रदर्श क–8 बनवारी लाल इस साक्षी के सामने सादा लाकर हस्ताक्षर कराया था। इस साक्षी के आर.टी.ओ. के सामने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होते समय हसताक्षर नहीं हुए थे। आर.टी.ओ.अलीगढ़ में कागज निकलवाये गये थे। आर.टी.ओ. आगरा में नहीं गया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवारी लाल को दिया था, सेल लैटर पर फोटो दिया था। इस साक्षी ने ट्रैक्टर दिनांक 13.02.2009 को बेचा था। सेल लैटर ट्रैक्टर खरीदने के करीब डेढ–दो माह बाद बनवारी लाल ने लाकर इस साक्षी से दस्तखत कराये थे। इस साक्षी ने न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि जिस समय बनवारी लाल ने इस साक्षी से इन कागजात पर हस्ताक्षर कराये थे, उस समय मुन्नी देवी वहां मौजूद नहीं थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श क–6 ता प्रदर्श क–8 पर इस साक्षी के सामने भरकर दस्तखत कराये थे। आगे इस साक्षी ने कहा है कि शपथपत्र प्रदर्श क–9 उसने दिया है, बेचने के तीन माह बाद वह थाने लेकर गया था और कोई खास तथ्य इस साक्षी की साक्ष्य में नहीं आया है। इस साक्षी ने प्रदर्श क–9 शपथपत्र को साबित किया है।

मैंने प्रदर्श क–9 का सम्यक परिशीलन किया जिसमें यह तथ्य अंकित है कि साक्षी ने अपना ट्रैक्टर उपरोक्त वर्णित दिनांक 13.01.2009 को मुन्नी देवी को मु0 1,62,000/–रूपये में विक्रय किया था। मुन्नी देवी के बड़े पुत्र बनवारी लाल ने मुन्नी देवी का नाम विक्रय पत्र में नहीं भरा था और कहा कि मां का नाम बाद में भर लेगा, खाली सेल लैटर पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। मुन्नी देवी के नाम ट्रैक्टर नहीं हुआ, जब कि ट्रैक्टर को मुन्नी देवी के नाम बेचा था तथा मुन्नी देवी ने ही इस साक्षी के ट्रैक्टर का भुगतान किया था। इस साक्षी को धोखा देकर बनवारी लाल ने सेल लैटर

पर हस्ताक्षर करा लिये। बनवारी लाल ने इस साक्षी को भी धोखा दिया था तथा ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रैक्टर को धोखाधड़ी करके मुन्नी देवी के नाम न कराकर बनवारी लाल ने अपने ससुर रामदास पुत्र प्रेम सिंह निवासी नगला कांस थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद के नाम करा दिया।

न्यायालय के मत में विक्रेता पी0डब्लू0 6 संतोष कुमार,पी0डब्लू0 1 मुन्नी देवी के बयान तथा पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन के बयान आदि से यह तथ्य पूर्णतः साबित है कि बनवारी लाल ने अपने ससुर रामदास से मिली भगत कर षडयंत्र के तहत मुन्नी द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टर को अपने ससुर रामदास के नाम करा दिया। ट्रैक्टर का अंतरण किस प्रकार से आर.टी.ओ. कार्यालय में रामदास के नाम हो गया , यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बनवारी लाल ने यह जानते हुए कि उसकी मां ने ट्रैक्टर का प्रतिफल मु0 1,62,000/–रूपये संतोष कुमार को अदा किया है, बनवारी लाल ने मुन्नी देवी का पुत्र होने का लाभ उठाते हुए संतोष कुमार को धोखा देते हुए खाली सेल लैटर पर हस्ताक्षर करा लिये और बाद में उसे रामदास के नाम आर.टी.ओ. कार्यालय से अंतरित करा दिया। उसने ट्रैक्टर के कागज अपने साढ़ू के यहां रख दिये थे। प्रदर्श क–6 मोटर वाहन के अंतरण के संबंध में सूचना है जिसमें अंतरक का नाम संतोष कुमार दर्शाया गया है और इसमें क्रेता का नाम रामदास है। यह प्रमाणित प्रति है। इसके संबंध में संतोष कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह प्रपत्र खाली था, इस पर बनवारी लाल ने उसके हस्ताक्षर करा लिये और बाद में रामदास का नाम भर लिया था। इसी प्रकार प्रदर्श क–7 एवं प्रदर्श क–8 पर भी संतोष कुमार के हस्ताक्षर करवा लिये थे। ऐसी स्थिति में आर.टी.ओ. कार्यालय से संबंधित आर.टी.ओ. अथवा उनके किसी कर्मचारी के परीक्षित न होने से अपराध के गुण–दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपीलार्थीगण की ओर से इस संबंध में लिये गये तर्क में कोई बल नही है और उनका तर्क अस्वीकार किया जाता है।

अवधार्य बिन्दु संख्या 3:–

क्या धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है ?

अपीलार्थी पक्ष का यह तर्क है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420 भा0द0सं0 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नही है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह तथ्य साबित हो चुका है कि अपीलार्थी बनवारी लाल ने अपने ससुर रामदास के साथ षडयंत्र रचकर संतोष कुमार का ट्रैक्टर उपरोक्त

रामदास के नाम करवा दिया, जबकि ट्रैक्टर का प्रतिफल वादिनी मुकदमा श्रीमती मुन्नी देवी ने अदा किया था, जिसे संतोष कुमार ने स्पष्ट तौर पर साबित किया है और स्वीकार किया है। इस प्रकार बनवारी लाल ने वादिनी के पुत्र होने का लाभ उठाते हुए वादिनी मुन्नी देवी द्वारा ट्रैक्टर के रूपये अदा करने के बाद भी उसके नाम ट्रैक्टर न कराकर, मुन्नी देवी को सदोष हानि पहुंचाने तथा रामदास को सदोष लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रामदास के नाम करा दिया और इसके पूर्व भी वह ट्रैक्टर के कागजात को अपने साढ़ू के यहां रखा था, जबकि ट्रैक्टर बनवारी लाल अपने घर मुन्नी देवी के यहां लाया था। बनवारी लाल का आशय यह रहा होगा कि इस दौरान लोगों को कोई आशंका नहीं होगी। जब बाद में पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन जो बनवारी लाल का सगा भाई है, ने कागजात लाने को कहा, तब बाद में पता चला कि ट्रैक्टर धोखाधड़ी कर बनवारी लाल ने रामदास के नाम करा दिया है। ऐसी स्थिति में रामदास व बनवारी लाल ने उत्प्रेरण संबंधी षडयंत्र रचकर अपराध कारित किया है।

अपीलार्थी पक्ष का एक तर्क यह रहा है कि रामदास ने ट्रैक्टर का प्रतिफल अदा किया है। इस संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उससे अपीलार्थी पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है क्योंकि डी0डब्लू0 1 के रूप में परीक्षित राजनाथ ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि रामदास ने खेत बेचकर ट्रैक्टर खरीदा था परन्तु पत्रावली पर रामदास द्वारा विक्रय किये जाने अथवा किसी धनराशि से ट्रैक्टर खरीदे जाने की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

डी0डब्लू0 2 मानिक चन्द ने अपने बयान में कहा है कि ट्रैक्टर खरीदने के बारे में उसने सुना है, उसके सामने ट्रैक्टर खरीदा नहीं गया था। रामदास ने ट्रैक्टर खरीदने वाली बात बताई थी। रामदास ने बताया था कि महेश नाम के व्यक्ति से खरीदा था, किस गांव का था, इस साक्षी को नहीं बताया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि वह रामदास द्वारा बताई गयी बातों को न्यायालय में बता रहा है। इस प्रकार इस साक्षी के सामने न तो रामदास ने ट्रैक्टर खरीदा था और न ही रूपये अदा किये। ऐसी स्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

डी0डब्लू0 3 वीरेश्वर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि रामदास ने बताया था कि उसने ट्रैक्टर मु0 1,62,000/–रूपये में खरीदा था, किस व्यक्ति से खरीदा था और किस स्थान से खरीदा था, इस साक्षी को नहीं मालूम। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जो बात बनवारी ने कही थी, वही बात वह आज न्यायालय में

बता रहा है। इस प्रकार इस साक्षी को भी ट्रैक्टर कय किये जाने व रूपये अदा किये जाने के संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इस साक्षी की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है और ग्राह्य नहीं है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

बचाव पक्ष की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

पी0डब्लू0 3 राजकुमार एवं पी0डब्लू0 4 कोमल सिंह सुपुर्दगीनामा के साक्षी हैं और इन्होंने सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क–2 को साबित किया है।

मैंने सुपुर्दगीनामा का सम्यक परिशीलन किया जिससे स्पष्ट है कि यह दिनांक 13.02.2010 को तैयार किया गया है। मुन्नी देवी के आवास पर ट्रैक्टर वर्णित उपरोक्त खड़ा था जिसके चारों पहियों की हवा निकली थी, जिसे गवाहान के समक्ष मुन्नी देवी की सुपुर्दगी में दिया गया था। इस संबंध में पी0डब्लू0 5 उ0नि0 सत्यपाल सिंह ने साक्ष्य दी है।

मैंने अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप दिनांकित 26.04.2010 का सम्यक परिशीलन किया जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण बनवारी लाल एवं रामदास के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 13.01.2009 को मुन्नी देवी ने ट्रैक्टर नं0 यू.पी.81डी. 2910 स्वराज 735 संतोष कुमार से मु0 1,62,000/–रूपये में खरीदा था। अभियुक्तगण ने तत्पश्चात् दिनांक व समय अज्ञात वस्थान इमलिया थाना बरहन जिला आगरा के अंतर्गत षडयंत्र के तहत छल करते हुए बनवारी लाल द्वारा अपने ससुर रामदास के नाम बेईमानीपूर्वक उक्त ट्रैक्टर को पंजीकृत करा दिया गया। इस प्रकार विरचित आरोप से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के आपस में षडयंत्र कर ट्रैक्टर रामदास के नाम कराये जाने का तथ्य अभियुक्तगण को दौरान विचारण मालूम रहा और उन्हें इस संबंध में अपना बचाव करने का पूर्ण अवसर मिला है और वे बचाव में कहीं भ्रमित नहीं हुए हैं।

धारा 313 द0प्र0सं0 के बयान में रामदास ने सामान्य इन्कारी की है और यह भी कहा है कि ट्रैक्टर उसे बेचा गया था। इस मामले में रामदास व उसके घर का कोई व्यक्ति उपस्थित होकर साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह साबित हो पाता कि मु0 1,62,000/–रूपये विक्रेता संतोष कुमार को रामदास ने अदा किया हो। इस संबंध में जो सुझाव दिया गया उसे अभियोजन साक्षीगण ने इन्कार किया हैं। साथ ही साथ बचाव पक्ष द्वारा अभियेाजन पक्ष से सुझाव दिये गये उसमें पी0डब्लू0 2 रिन्कू उर्फ अर्जुन को यह सुझाव दिया गया कि रामदास ने अपने दामाद बनवारी लाल को ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे दिये थे, जिसे इस साक्षी ने इन्कार किया है। न्यायालय के मत में अपीलार्थी पक्ष का यह तर्क रहा है कि रामदास ने ट्रैक्टर खरीदा था। इस

प्रकार अपीलार्थी पक्ष अपने बचाव में स्वयं स्पष्ट नहीं रहा है कि ट्रैक्टर बनवारी लोल ने क्रय किया था या रामदास ने क्रय किया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पक्ष के तर्क में कोई बल नहीं है और अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण रामदास एवं बनवारी लाल के विरूद्ध धारा 420 सपठित धारा 109 द0प्र0सं0 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है।

मैंने अवर न्यायालय के निर्णय दिनांकित 21.11.2013 का सम्यक परिशीलन किया।

अवर न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए तथा समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्तगण बनवारी लाल एवं रामदास धारा 420 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषी हैं। अवर न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से पाया कि तथ्यों को छिपाना जैसा कि धारा 415 भा0द0सं0 के स्पष्टीकरण में वर्णित हैं, के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। इस प्रकार न्यायालय ने छल का अपराध अभियुक्तगण द्वारा कारित किया जाना साबित पाते हुए दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अवर न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है, तो अवर न्यायालय ने धारा 420 भा0द0सं0 के अंतर्गत अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बनवारी लाल एवं रामदास को 5–5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है तथा पांच हजार–पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है व धारा 357 द0प्र0सं0 के अंतर्गत 50,000/–रूपये एकमुश्त वादिनी को अदा करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में सम्पूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के मत में कारावास का दण्डादेश कुछ अधिक प्रतीत होता है। पांच–पांच वर्ष का कठोर कारावास न्यायालय की दृष्टि में अधिक है और इसे दो–दो वर्ष का कठोर कारावास दिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। तथा क्षतिपूर्ति का निर्धारण प्रत्येक अभियुक्त पर 30 हजार रूपये किया जाना उचित होगा। ऐसी स्थिति में तद्नुसार निर्णीत पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपीलार्थीगण बनवारी लाल एवं रामदास की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बनवारी लाल एवं रामदास को धारा 420 सपठित धारा 109 भा0द0सं0 के अंतर्गत पांच–पांच वर्ष के कठोर कारावास के स्थान पर दो–दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है तथा 5,000/–,

5,000/–(पांच हजार–पांच हजार) रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को दो–दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

अपीलार्थीगण को यह आदेश किया जाता है कि वे वादिनी को धारा 357 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रत्येक द्वारा 30,000/–, 30,000/–(तीस हजार–तीस हजार) रूपये कुल 60,000/–रूपये एकमुश्त अदा करेंगे।

तद्नुसार अवर न्यायालय का दण्डादेश परिवर्तित किया जाता है।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बनवारी लाल एवं रामदास को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विचारण न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजे जाने हेतु प्रेषित किया जाय।

इस निर्णय की एक प्रति अवर न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब अवर न्यायालय आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित की जाय।

ह0
(अशोक कुमार यादव I)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),
आगरा

दिनांकः 02.02.2019

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

ह0
(अशोक कुमार यादव I)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),
आगरा

दिनांकः 02.02.2019